हमने पिछले कई अपडेट में बताया कि सरकार ने Corona वायरस के कारण उत्पन्न स्थिति में व्यापारियों को होने वाली दिक्कतों के मद्देनजर काफी सारे कदम लगातार उठाए जा रहे हैं| जीएसटी की नियत तिथि को बढ़ाना, कोई भी तरह की compliance को 30.06.2020 तक बढ़ाना, इनकम टैक्स में इन्वेस्टमेंट 30.06.2020 तक छूट, RBI द्वारा बैंकों को EMI 30.6.2020 देने में छूट को बैंकों द्वारा स्वीकारना इत्यादि काफी सारे कदम है| साधारण जनता के लिए भी राहत पैकेज का ऐलान करना भी इसमें शामिल है| इन सब से उद्योग जगत को राहत मिली है |

इन राहतों को देने में Ministry of Commerce भी पीछे नहीं है | इसके अंतर्गत कार्यरत DGFT ने भी काफी सारे कदम व्यापारियों की सुविधा के लिए उठाए हैं| उनमें से निम्नलिखित काफी महत्वपूर्ण है :-

1. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के वर्तमान प्रावधान, जो की 31.03.2020 तक लागू थे, वह आगे बढ़ाकर 31.03.2021 तक लागू रहेंगे | इनमें Advance authorisation, SEIS, Replishment लाइसेंस, EPCG लाइसेंस, व इसमें इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट फाइल करने की तिथि इत्यादि को बढ़ा दिया गया है |
2. RCMC Export के बेनिफिट लेने के लिए आवश्यक है, परंतु कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर RCMC renewal को 30.03.2020 से बढ़ा 30.9.2020 तक की छूट दी गई है |
3. Certificate of origin निर्यात को भेजने के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक होता है परंतु लॉक डाउन की स्थिति में इस प्रावधान से छूट दी गई है| निर्यातकों के इसके बिना निर्यात करने से छूट है तथा इसे बाद में भी सबमिट कर दिया जाएगा |

इस तरह Ministry of commerce निर्यातकों का पूरा ध्यान रख रही है| व्यापार व उद्योग जगत का स्वागत करता है|